राष्ट्रीय रसायन. एंड फर्टिलाइजर्स लि. और अन्य

बनाम

सामान्य कर्मचारी संघ एवं अन्य

अप्रैल 23, 2007

[डॉ अरिजित पसायत और आर. वी. रवीन्द्रन, जे.जे.]

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-केंद्र सरकार का परिपत्र प्रतिष्ठान में संविदा श्रम पर रोक नहीं लगाता-परिपत्र को चुनौती देने वाली रिट याचिका-याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि रिट याचिका में इस मुद्दे का निर्णय नहीं किया जा सकता है-उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को विवाद का निदेश करने का निर्देश दिया- अभिनिधारित - उचित नहीं - जब याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में कुछ मुद्दों तय नहीं हो सकना स्वीकार किया था तो उच्च न्यायालय द्वारा यह विचार किये जाने योग्य था- उसे 1947 अधिनियम-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत उपाय प्राप्त करने का अधिकार उन पर छोड़ देना चाहिए था।

केंद्र सरकार ने परिपत्र जारी कर अपीलकर्ता के सिविल वर्क्स और बढ़ईगीरी प्रतिष्ठानों में अनुबंध श्रम को खत्म करने और प्रतिबंधित करने से इनकार कर दिया। प्रथम उत्तरदाता - सामान्य कर्मचारी संघ ने परिपत्र को चुनौती दी। रिट याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि संविधान के

अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय द्वारा उक्त मुद्दे पर विचार नहीं किया जा सकता है और उचित मंच को इस तरह के प्रश्न पर विचार करना चाहिए। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह निर्णय लेने के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण का संदर्भ देने का निर्देश जारी किया कि क्या अनुबंध श्रम प्रणाली वास्तविक थी, या अपीलकर्ता संख्या 1 के स्थायी कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों से अनुबंध कर्मचारियों को वंचित करने के लिए मात्र एक छलावा था और श्रमिको को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया :

1.1. एक बार जब प्रतिवादी नंबर 1 ने अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 लागू होने के आधार पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, तो यह एक वैध अनुबंध के अस्तित्व का पूर्वानुमान लगाता है। रिट याचिकाकर्ता - उत्तरदाता संख्या 1 अधिसूचना रद्दीकरण पर पुर्निवचार चाहता था। दूसरे स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड मामले में जो कहा गया है, उसके मद्देनजर उच्च न्यायालय को इस पर विचार करना होगा कि क्या रिट याचिका में लिया गया रुख असंगत था। मौजूदा मामले में रिट याचिकाकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे रिट याचिका में तय नहीं हो सकते थे। ऐसा होने पर उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश उचित प्रतीत नहीं होते। उच्च न्यायालय को इस

तरह से निर्देश नहीं देना चाहिए था और उत्तरदाता संख्या 1 - संगठन को ओधौगिक विवाद अधिनियम में उपलब्ध उपाय का लाभ उठाने के लिए छोड़ देना चाहिए था। (पैरा 11) [465-एफ, जी; 466-ए]

1.2. उत्तरदाता संख्या 1 के लिए यह विकल्प खुला है कि वह कथित विवाद को अधिकरण में निदेशित करने के लिए उपयुक्त राज्य सरकार से वांछा कर सके। राज्य सरकार इस पर विचार करेगी कि क्या कोई निदेश मांगा गया है। [12 तक] [466-बी, सी)

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम नेशनल एंड यूनियन वाटरफ्रंट वर्कर्स एंड अन्य, [2001] 7 एससीसी 1; स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ ऑर्म्स, (दूसरा स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया केस) (2006) 3 सीएलआर 659; संकरी सीमेंट अलाई थोझिलालर मुनेत्र संगम तमिलनाडु बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य, [1983] 1 एससीसी 304; वी. वीरराजन और अन्य बनाम तमिल सरकार और अन्य, [1987] 1 एससीसी 479 और टेल्को कॉन्वॉय ड्राइवर मजदूर संघ और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, [1989] 3 एससीसी 271, संदर्भित।

सिविल अपीलीय अधिकारिता : 2007 की सिविल अपील संख्या 2122

2000 की रिट याचिका संख्या 7543 में उच्च न्यायालय, बॉम्बे के निर्णय और आदेश दिनांक 17.09.2003 से।

सहित सीए 2007 की संख्या 2123.

जमशेद पी. कामा, एम.एस. बोदनवाला, गोपाल जैन, आर.एन. करंजवाला अपीलकर्ताओं के लिए।

नंदिनी एफ गोर, जयंत मोहन और माणिक करंजवाला - प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

डॉ. अरिजीत पसायत, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. इन अपीलों में चुनौती बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा पारित आदेशों को दी गई है, जिसमें औद्योगिक न्यायाधिकरण के संदर्भ में निर्देश दिया गया है और 2004 की एसएलपी (सी) संख्या 594 से संबंधित सिविल अपील में श्रमिकों को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई है।

3. प्रथम उत्तरदाता - सामान्य कर्मचारी संघ (संक्षेप में 'संघ') ने केंद्र सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 8.11.2000 की वैधता पर सवाल उठाया था जिसमें राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड-उत्तरदाता संख्या 1 के सिविल वर्क्स और बढ़ईगीरी प्रतिष्ठान में अनुबंध श्रम को

खत्म करने और प्रतिबंधित करने से इनकार करते हुए अपना निर्णय सुनाया। उत्तरदाता संख्या 1 ने रिट याचिका संख्या 7543/2000 में यह आरोप लगाया गया था कि रिट याचिका में उत्तरदाता संख्या 5 से 8 (जो इस अपील में गैर-आधिकारिक उत्तरदाता संख्या 4 से 7 हैं) नकली और दिखावटी ठेकेदार थे। रिट याचिकाकर्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उक्त मुद्दे पर भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में 'संविधान') के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है और उचित मंच - औद्योगिक न्यायाधिकरण में जाना होगा ऐसे प्रश्न में. रिट याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि मामले को औद्योगिक न्यायाधिकरण को निदेशित करने और इस बीच अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया जाए। हालाँकि, इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए :

"(i) उपयुक्त सरकार, यानी केंद्र सरकार को आज से दो माह के भीतर निर्णय के लिए औद्योगिक न्यायालय को निम्नलिखित मांगों का निदेश देने का निर्देश दिया जाता है;

(ए) क्या प्रथम उत्तरदाता मैसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और उत्तरदाता संख्या 5 से 10 के बीच अनुबंध दिखावा और फर्जी हैं और संबंधित अनुबंध कर्मचारियों को उत्तरदाता संख्या 1 के स्थायी श्रमिकों को मिलने वाले लाभों से वंचित करने का एक छलावा है?

(बी) क्या, याचिका में प्रदर्श ए में सूचीबद्ध कर्मचारियों को उत्तरदाता संख्या 1 के स्थायी कर्मचारी घोषित किया जाना चाहिए?

(सी) याचिका के प्रदर्श 'ए' में कर्मचारियों की सूची में भुगतान किए जाने वाले वेतन और परिणामी लाभ क्या हैं?

(ii) ऐसा निदेश प्राप्त होने पर औद्योगिक न्यायाधिकरण मामले में शीघ्रता से कार्यवाही करेगा और यथा संभव शीघ्रता से इसका निपटारा करेगा किसी भी स्थिति में 30.6.2004 के बाद नहीं।

(iii) इस न्यायालय द्वारा 29.12.2000 को पारित अंतरिम आदेश तब तक जारी रहेगा जब तक कि याचिकाकर्ता को औद्योगिक न्यायाधिकरण से यह सूचना नहीं मिल जाती कि निदेश प्राप्त हो गया है और उससे दो महीने की अवधि तक। याचिकाकर्ताओं को निदेश प्राप्त होने की सूचना मिलने पर अंतरिम राहत जारी रखने के लिए संबंधित औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन करने की स्वतंत्रता होगी और यदि ऐसा आवेदन याचिकाकर्ता द्वारा किया जाता है, तो उसके चार सप्ताह की अवधि के भीतर, उस औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा, निपटारा किया जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है कि यदि किसी कारण से औद्योगिक न्यायाधिकरण ऐसे आवेदन से चार सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अंतरिम राहत के लिए आवेदन का निपटारा नहीं कर पाता है तो औद्योगिक न्यायाधिकरण निपटारे तक अंतरिम राहत

के आवेदन के निपटारे पर अंतरिम आदेश जारी रखने के लिए उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि आवेदन पर अंतरिम आदेश याचिकाकर्ताओं के प्रतिकूल है तो उसे चार सप्ताह की अवधि तक प्रभावी नहीं किया जाएगा।

(iv) यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा ठेकेदार में कोई बदलाव किया जाता है तो नया ठेकेदार औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश के अधीन उन्हीं श्रमिकों को नियुक्त करेगा।

(v) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त अंतरिम आदेश केवल 39 कर्मचारियों तक सीमित है कर्मचारियों को जो वर्तमान में उत्तरदाता संख्या 1 के संघ में उत्तरदाता संख्या 5 से 10 के माध्यम से कार्य कर रहे हैं।

(vi) पक्षकारों की सभी दलीलें औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष उठाए जाने के लिए खुली रखी गई हैं।"

4. संबंधित सिविल अपील (2003 की एसएलपी (सी) संख्या 12961 से संबंधित) अपीलकर्ता संख्या 1 के थार कारखाने में एक कैंटीन में श्रमिकों के संबंध में है। पहले उत्तरदाता - संघ ने डब्ल्यू.पी. संख्या 2940/1998 इस घोषणा के लिए दायर किया कि कर्मचारी (जिनके नाम रिट याचिका के परिशिष्ट में दिखाए गए थे) अपीलकर्ता संख्या 1 के नियमित कर्मचारी थे और परिणामी राहत के लिए थे। उच्च न्यायालय की

खण्ड पीठ ने दिनांक 23.1.2003 के निर्णय द्वारा याचिका का निपटारा करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:

(i) उपयुक्त सरकार यानी महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह आज से दो महीने के भीतर निर्णय के लिए निम्नलिखित विवाद/विवादों को औद्योगिक न्यायाधिकरण को निदेशित करे।

(ए) क्या राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और ठेकेदारों के बीच अनुबंध दिखावटी और फर्जी है और अनुबंध ए के अनुसार कर्मचारियों को राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के स्थायी श्रमिकों को उपलब्ध लाभों से वंचित करने का एक छद्म प्रयास है?

(बी) क्या जिन कर्मचारियों के नाम इस आदेश के साथ संलग्न प्रदर्श ए में दिखाए गए हैं, वे राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की कैंटीन में कर्मचारी हैं और यदि उत्तर सकारात्मक है, तो क्या ऐसे कर्मचारियों को राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के स्थायी कर्मचारी घोषित किया जाना चाहिए?

(सी) सूची परिशिष्ट ए के अनुसार कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली मजदूरी और परिणामी लाभ क्या हैं?

(ii) निदेश प्राप्त होने पर औद्योगिक न्यायाधिकरण मामले पर तेजी से आगे बढ़ेगा और जितनी जल्दी हो सके उसका निपटान करेगा और किसी भी मामले में 31.12.2003 के पश्चात नहीं।

(iii) इस न्यायालय द्वारा 24.6.1998 को पारित अंतरिम आदेश तब तक जारी रहेगा जब तक कि याचिकाकर्ताओं को औद्योगिक न्यायाधिकरण से यह सूचना प्राप्त नहीं हो जाती कि संदर्भ प्राप्त हो गया है और उससे दो महीने की अवधि तक जारी रहेगा। याचिकाकर्ता को संदर्भ प्राप्त होने की सूचना मिलने पर अंतरिम राहत जारी रखने के लिए संबंधित औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन करने की स्वतंत्रता होगी और हम मानते हैं कि यदि ऐसा आवेदन याचिकाकर्ता द्वारा किया जाता है, तो उसका औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा चार सप्ताह की अवधि के भीतर निपटारा किया जाएगा। हम प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विद्वान वरिष्ठ वकील का बयान दर्ज करते हैं कि याचिकाकर्ता के अंतरिम राहत के आवेदन की पोषणीयता के बारे में उक्त उत्तरदाताओं द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई जाएगी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि किसी भी कारण से, औद्योगिक न्यायाधिकरण ऐसे आवेदन से चार सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अंतरिम राहत के लिए आवेदन का निपटारा नहीं कर पाता है, तो औद्योगिक न्यायाधिकरण अंतरिम राहत हेतु आवेदन के निस्तारण तक अंतरिम आदेश जारी रखने के लिए उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उत्तरदाता संख्या 1 और 2 द्वारा ठेकेदार में कोई बदलाव होता है, तो नया ठेकेदार, औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश के अधीन उन्हीं श्रमिकों को नियुक्त करेगा।

(v) पक्षकारों की सभी दलीलें औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष उठाए जाने के लिए खुली रखी गई हैं।

5. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम नेशनल यूनियन वाटरफ्रंट वर्कर्स और अन्य, [2001] 7 एससीसी 1 में इस न्यायालय के निर्णय के बाद उच्च न्यायालय को उपरोक्तनुसार निर्देश नहीं देना चाहिए था। रिट याचिकाओं में प्रार्थना इस सवाल के निर्धारण के लिए नहीं थी कि क्या अनुबंध श्रम प्रणाली वास्तविक थी, या अपीलकर्ता नंबर 1 के स्थायी कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों से संबंधित अनुबंध कर्मचारियों को वंचित करने के लिए मात्र एक छलावा था। उच्च न्यायालय ने दोनों आदेशों में संदर्भ की शर्तें भी तैयार कीं जो अस्वीकार्य हैं।

6. नोटिस की तामील के बावजूद प्रथम उत्तरदाता -संघ की ओर से कोई उपस्थिति नहीं है।

7. अपीलकर्ता द्वारा अपनाए गए रुख की सराहना करने के लिए, इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में की गई टिप्पणियों पर ध्यान देना आवश्यक है। गोविंद शुगर मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम हिंद मजदूर

सभा और अन्य, [1976] बी 1 एससीसी 60 में यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 4K के पर विचार करते हुए (संक्षेप में 'यूपी अधिनियम), औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में 'आईडी अधिनियम') की धारा 10(1) के साथ समरूपता में, इसे अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार देखा गया:

> "विशेष अपील में उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बस्ती शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसले के बाद यह विचार किया है कि जब अधिनियम की धारा 3 (बी) के तहत कार्रवाई की गई थी तो यह राज्य सरकार के लिए अनिवार्य था उक्त कार्रवाई के संबंध में उठाए गए औद्योगिक विवाद के निर्णय के लिए धारा 4K के तहत एक संदर्भ बनाए। उच्च न्यायालय ने मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और उत्प्रेषण रिट के अनुदान द्वारा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22 जून, 1966 को रदद कर दिया। इस अपील में चूंकि एक सीमित प्रश्न पर विशेष अनुमति दी गई थी, इसलिए हमें उच्च न्यायालय के आदेश के उक्त भाग में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन इसके बाद निर्देश दिया कि राज्य सरकार और श्रम आयुक्त को अधिनियम की धारा 4K के तहत

अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए विवाद को निर्णय के लिए संदर्भित करना होगा। ऐसा इस दृष्टि से किया गया प्रतीत होता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3बी के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद ऐसा करना अनिवार्य था। हमारी राय में यह सही नहीं था।

कुछ दिन पहले दिए गए इस न्यायालय के फैसले में, एम महाबीर जूट मिल्स लिमिटेड गोरखपुर बनाम श्री शिब्बन लाल सक्सेना (30 जुलाई, 1975 का निर्णय), अधिनियम की धारा 4K के प्रावधानों पर विचार कर यह अभिनिर्धारित किया कि सरकार द्वारा निदेशित करने से इनकार करने के आदेश को रद्द करने के बाद उच्च न्यायालय सरकार को मामले पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन वह निदेशित करने के लिए पूर्व निर्देश नहीं दे सकता है। हालाँकि, हम इस न्यायालय के बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (सुप्रा) के मामले में पृष्ठ 35 पर दिए गए फैसले में आने वाले एक वाक्य पर ध्यान दे सकते हैं, जो इस प्रकार है :

"यदि उपयुक्त सरकार अप्रासंगिक विचारों, या बाहरी आधारों पर संदर्भ देने से इनकार करती है, या दुर्भावनापूर्ण कार्य करती है, तो यह निश्चित रूप से एक और मामला होगा; ऐसे मामले में

पक्षकार परमादेश की रिट के लिए न्यायालय जाने का हकदार होगा।"

हमारा मानना है कि उपरोक्त वाक्य से जो अभिप्राय था वह यह था कि पक्षकार सरकार के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए उच्च न्यायालय में जाने की हकदार होगी और जरूरी नहीं कि सरकार को निदेशित करने हेतु निर्देश् देने के लिए परमादेश रिट जारी की जाए। परमादेश यह होगा कि मामले पर पुनर्विचार किया जाए। यह मानना बिल्कुल उचित नहीं लगता कि सरकार द्वारा निदेश देने से इनकारी के रद्दीकरण के बाद के लिए परमादेश की रिट को कर दिया जाना चाहिए। इनकार के आदेश को रद्द करने के फैसले के आलोक में प्रासंगिक विचारों पर सरकार द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए मामला अभी भी छोड़ा जाना बाकी है।

8. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि उच्च न्यायालय सीधे संबंधित सरकार को विवाद को संदर्भित करने का निर्देश नहीं देंगे। यह उपयुक्त सरकार पर निर्भर करता है कि वह विवाद को संदर्भित करने का निर्णय लेने से पहले प्रासंगिक कारकों पर अपना दिमाग लगाए और विवाद के अस्तित्व के बारे में खुद को संतुष्ट करे। हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य, दूसरा सेल केस (2006) 3 सीएलआर 659)] में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं:

"1970 अधिनियम की धारा 10 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के उद्देश्य से, उपयुक्त सरकार को अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता है। इसका आदेश एक प्रशासनिक हो सकता है लेकिन यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से परे नहीं होगा। इसलिए, जैसा भी मामला हो, श्रमिकों और/या प्रबंधन द्वारा उसके समक्ष रखी गई सामग्रियों के आधार पर संदर्भ बनाने से पहले अपना दिमाग लगाएं। ऐसा करते समय, सामग्री के आधार पर उसी प्राधिकारी के लिए यह अनुचित हो सकता है कि 1947 अधिनियम की धारा 10(1)(डी) के तहत अधिसूचना जारी की जाए, हालांकि यह न्यायिक रूप से निर्धारित है कि श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा नियोजित किया गया था। राज्य अनुबंध श्रम के उन्मूलन के संबंध में 1970 अधिनियम कीधारा 10 और 1947 अधिनियम की धारा 10(1)(डी) के तहत श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण को औद्योगिक न्यायनिर्णयन के संदर्भ में प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करता है। 1970 अधिनियम के तहत एक अधिसूचना जारी करते समय, राज्य को आगे बढ़ना होगा जिसका आधार यह है कि प्रमुख नियोक्ता ने ठेकेदारों को नियुक्त किया था और ऐसी नियुक्तियाँ कानून में वैध हैं, लेकिन औद्योगिक न्यायनिर्णयन के लिए विवाद का निदेश करते समय, ठेकेदार की नियुक्ति की वैधता स्वयं ही एक मुददा होगी जबकि

राज्य को प्रथम दृष्टया खुद को संतुष्ट करना होगा कि क्या कोई ऐसा विवाद मौजूद है कि क्या कामगार वास्तव में ठेकेदार द्वारा नियोजित नहीं हैं बल्कि प्रबंधन द्वारा नियोजित है। इसलिए हम सम्मानपूर्वक उच्च न्यायालय की राय से सहमत होने में असमर्थ हैं।

हालाँकि, हमारे द्वारा यह जोड़ना जल्दबाजी होगा कि यह निर्णय 1970 अधिनियम की धारा 10 के तहत अधिसूचना जारी करने के उद्देश्य से उपयुक्त सरकार के रास्ते में नहीं आएगा।"

9. उपरोक्त का अपवाद तब है, जब न्यायालय को पता चलता है कि उपयुक्त सरकार द्वारा किसी विवाद का निदेश देने से इंकार करना अनुचित है। ऐसी परिस्थितियों में, अदालत सरकार को संकरी सीमेंट अलाई थोझिलालर मुनेत्र संगम, तमिलनाडु बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य, [1983] 1 एससीसी 304, वी. वीरराजन और अन्य का निदेश देने का निर्देश दे सकती है। तमिल सरकार और अन्य, [1987] 1 एससीसी 479 और टेल्को कॉन्वॉय ड्राइवर मजदूर संघ और अन्य। बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, [1989] 3 एससीसी 271।

10. केंद्र सरकार का परिपत्र दिनांक 8.11.2000 जो पहले मामले में चुनौती का विषय था, नीचे दिया गया है:

"मुझे उपरोक्त उद्धृत विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करने और यह कहने का निर्देश दिया गया है कि यह मामला राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की स्थापना, चेंबूर, मुंबई और थार जिले में उनके संयंत्रों में अनुबंध श्रमिकों के रोजगार पर प्रतिबंध से संबंधित है। श्री टी.एस. शंकरन की अध्यक्षता में 6-7 अप्रैल, 2000 को आयोजित केंद्रीय सलाहकार अनुबंध श्रम बोर्ड की 44 वीं बैठक में रायगढ़, महाराष्ट्र पर चर्चा की गई। बोर्ड ने सरकार को निम्नलिखित सिफारिशें कीं:

बोर्ड ने पाया कि समिति ने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अधिनियम की धारा 10 में निर्धारित कारकों के संबंध में मुद्दे की विस्तार से जांच की है। इसलिए, बोर्ड ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का फैसला किया और सरकार को तदनुसार सिफारिश की।

2. बोर्ड की सिफारिशों के अनुसरण में, केंद्र सरकार द्वारा इस मामले पर विस्तार से विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की स्थापना में निम्नलिखित कार्यों/नौकरियों में अनुबंध श्रमिकों के रोजगार पर रोक नहीं लगाई जाएगी। चेंबूर, मुंबई और थाल जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में उनके संयंत्रों में, जिसके लिए अनुबंध

श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत उपयुक्त केंद्रीय सरकार हैः

(1) सड़कों, बरसाती नालों, यार्डों की सफाई और घास की कटाई।

(2) रसायनों की खुराक।

(3) कैंटीन में नौकरियाँ।

(4) प्लांट में रेलवे ट्रैक का रखरखाव।

(5) सामग्री संभाल और

(6) सिविल इंजीनियरिंग रखरखाव यानी, बढ़ईगीरी, चिनाई, बिजली के स्विचगियर और पंप, कटर, रखरखाव ऑपरेटर, रखरखाव सहायक, सिविल कार्य में सहायक, ऑपरेटर और सामान्य श्रमिकों जैसे उपकरणों की मरम्मत की नौकरियों में।

3. चूंकि "प्रतिष्ठान" शब्द की व्याख्या और टाउनशिप पर अधिनियम की प्रयोज्यता का प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष लंबित है और उनके फैसले की प्रतीक्षा है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि अनुबंध श्रमिकों, जो वर्तमान में कॉलोनियों में तैनात महाराष्ट्र निजी सुरक्षा गार्ड (रोजगार और कल्याण का विनियमन) अधिनियम, 1981 के

अंतर्गत आने वाले सुरक्षा गार्डों की नौकरी में है, के रोजगार पर रोक नहीं लगाई जाए।

4. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के चेंबूर, मुंबई प्रियदर्शिनी कॉम्प्लेक्स और थल जिला रायगढ़, महाराष्ट्र स्थित संयंत्रों में कुछ अन्य नौकरियों/कार्यों में अनुबंध श्रमिकों के रोजगार पर रोक लगाने वाली एक अधिसूचना कानून, न्याय और कंपनी मामले (विधान विभाग) के मंत्रालय के परामर्श से अलग से जारी की जा रही है।

5. हथड़ी श्रमिकों द्वारा किए जा रहे लोडिंग और अनलोडिंग कार्यों में अनुबंध श्रमिकों के रोजगार को उनके स्पष्टीकरण के लिए बोर्ड को वापस भेजा जा रहा है।"

11. जैसा कि अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारायह सही तर्क दिया गया है कि एक बार उत्तरदाता नंबर 1-संघ ने उच्च न्यायालय का दरवाजा इस आधार पर खटखटाया कि अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (संक्षेप में 'अधिनियम') लागू होता है तो यह एक वैध अनुबंध के पूर्वानुमान को दर्शाता है। रिट याचिकाकर्ता (यहां उत्तरदाता संख्या I) अधिसूचना के रद्दीकरण पर पुनर्विचार चाहता था दूसरे स्टील ऑथोरिटी मामले (सुप्रा) में जो कहा गया है, उसके मद्देनजर उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि रिट याचिका में

अपनाया गया रुख असंगत है। मौजूदा मामले में रिट याचिकाकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया कि रिट याचिका में कुछ मुद्दों पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। ऐसा होने पर उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उपरोक्तानुसार निर्देश उचित प्रतीत नहीं होते। हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय को इस तरह से निर्देश नहीं देना चाहिए था और प्रतिवादी संख्या 1-एसोसिएशन को औद्योगिक विवाद अधिनियम में उपलब्ध अनुतोष का लाभ उठाने के लिए छोड़ देना चाहिए था।

12. यह प्रतिवादी संख्या 1-एसोसिएशन के लिए खुला है, यदि उसे सलाह दी जाती है, तो वह कथित विवाद को अधिकरण में निदेशित करने के लिए उपयुक्त राज्य सरकार वांछा कर सकता है। इस पर विचार करना राज्य सरकार को यह विचार करना है कि क्या कोई निदेश किया गया है। हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि निदेश देने की वांछनीयता या अन्यथा पर हमने कोई भी राय व्यक्त नहीं किया है।

13. लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील की अनुमति है।

एन.जे.

अपील की अनुमति।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रैना शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।